राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मिजोरम में मादक पदार्थ तस्करी को विफल किया, 9.72 किलोग्राम मेथामफेटामाइन गोलियां जब्त की, एक व्यक्ति गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 01 JUN 2025 11:02AM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने नशीली दवाओं के खतरे के विरुद्ध लड़ाई जारी रखते हुए 30.05.2025 को आइजोल-चंफई राजमार्ग (एनएच-6) पर सेलिंग, मिजोरम में एक महिंद्रा एक्सयूवी-500 से 9.72 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियां जब्त की। जब्त की गई गोलियों की कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध दवा बाजार में 9.72 करोड़ रुपये आंकी गई है।

डीआरआई के अधिकारियों को 10 पैकेट मिले जिनमें तस्करी की गई दवा थी। इनको पीछे की सीट पर एक कोटर/कक्ष में चालाकी से छिपाया गया था। बरामद निषिद्ध माल और वाहन को जब्त कर लिया गया है और एक व्यक्ति को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित मादक पदार्थ को भारत-म्यांमार सीमा के ज़ोखावथर सेक्टर से म्यांमार से मिजोरम में तस्करी कर लाया गया था। जनवरी 2025 से अब तक डीआरआई ने मिजोरम में 72 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मेथामफेटामाइन और हेरोइन जब्त की है और सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

एनडीपीएस अधिनियम में अपराधियों के लिए 10 साल तक के कठोर कारावास सहित कठोर सजा का प्रावधान है।

****

एमजी/केसी/पीपी/एमबी

(रिलीज़ आईडी: 2133096) आगंतुक पटल : 31

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi , Gujarati , Tamil , Malayalam